फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
अपील संख्या 63/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/69)
श्री जयपाल शर्मा बनाम श्री मांगूसिंह राजपूत व अन्य</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>08.10.2024</td><td>
उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री सम्पतलाल बोहरा, परमेश्वर पंड्या - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-4
अनवान
1. श्री जयपाल पिता श्री रघुनाथ शर्मा, निवासी किशोरनगर, राजनगर तहसील व जिला राजसमंद हाल निवासी राधेकृष्णा मार्बल, ताल, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद।
-अपीलार्थी
बनाम
1. श्री मांगुसिंह पिता श्री उदयसिंह राजपूत, निवासी काकरोद, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
2. श्री बजरंग सिंह पिता श्री उदयसिंह राजपूत, निवासी काकरोद, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
3. श्रीमती सुखा कंवर बेवा श्री उदयसिंह राजपूत, निवासी काकरोद, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।
-प्रत्यर्थी
अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़ बप्रकरण संख्या 126/2018 निर्णय दिनांक 31.01.2019 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 17.06.2019 (अनवान श्री मांगुसिंह व अन्य बनाम तहसीलदार देवगढ़)

<u>निर्णय</u>
दिनांक 08.10.2024
उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़ बप्रकरण संख्या 126/2018 निर्णय दिनांक 31.01.2019 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 17. 06.2019 (अनवान श्री मांगुसिंह व अन्य बनाम तहसीलदार देवगढ़) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।
प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-
• वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 से 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़ समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ताल पटवार हल्का ताल तहसील देवगढ़ में उनकी खातेदारी की भूमि आराजी संख्या 1918/1331 रकबा 5 बीघा स्थित है, जिस पर वह काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त भूमि आराजी संख्या 1331 रकबा 05 बीघा का आवंटन उनके पिता श्री उदयसिंह को हुआ था, आवंटन पत्र के साथ संलग्न नक्शे में उक्त आराजी संख्या 1331 रकबा 5 बीघा एक्स स्थान पर दर्शाया गया है। राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त आराजी की नया नम्बर 1918/1331 रकबा 5 बीघा राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया परन्तु राजस्व नक्शें में आवंटन आदेशानुसार अंकन नहीं किया गया जो आवश्यक है। राजस्व नक्शा में आवंटनशुदा भूमि के अंकन हेतु वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 से
</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 63/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/69) **श्री जयपाल शर्मा बनाम श्री मांगूसिंह राजपूत व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। • सहायक कलक्टर, देवगढ़ द्वारा प्रत्यर्थी-1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 30.01.2019 पारित किया एवं तत्पश्चात टंकण त्रुटि को सुधार करते हुए संशोधित निर्णय दिनांक 17.06.2019 को निम्नानुसार पारित किया- ''ग्राम ताल तहसील देवगढ़ की जमाबंदी संवत् 2038 से 2041 में प्रार्थीगण के पिता एवं पति श्री उदयसिंह पिता धीरजसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज हो प्रार्थीगण सहखातेदार है तथा उक्त आराजीयात प्रार्थीगण को उनके पिता/पति को जरिये अलोटमेंट से कार्यालय उपजिलाधीश भीम जिला राजसमंद द्वारा सन् 1978 में आवंटन की गई और पट्टा जारी किया गया। तत्पश्चात् प्रार्थीगण के पिता/पति को उक्त आराजीयात का खातेदार घोषित किया एवं उक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता/पति के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित की गई एवं उक्त आवंटन प्रार्थीगण के पिता/पति को आंवटन से ही प्रार्थीगण के पिता/पति का उक्त आवंटन सुदा आराजीयात पर कब्जा चला आया है तथा वर्तमान में भी प्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर काबित कास्त हो उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है। परन्तु उक्त आवंटन सुदा आराजी सं. 1331 के स्थान पर राजस्व विभाग द्वारा नवीन आराजी सं. 1918/1331 अंकित की गई परन्तु उक्त आराजी सं. 1918/1331 को राजस्व नक्शें में तरमीम नहीं किया गया जो राजस्व नक्शें में तरमीम किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी जो असल दस्तावेज पेश किये, आवंटन आदेश दिनांक 23.1.78 के साथ नक्शे अनुसार प्रार्थी को कब्जा दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है एवं तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित आवंटन आराजी सं. 1331 एवं नवीन आराजी सं. 1918/1331 को जहां प्रार्थीगण पूर्व में काबिज कास्त था उस स्थान को राजस्व नक्शे में तरमीम करावें व बाद तरमीम रिपोर्ट मय राजस्व नक्शे की प्रति पेश करें।'' न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़ के उक्त निर्णय से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष मयाद बाधित प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का प्रस्तुत किया जिस निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला सलुम्बर व राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी-4 राजकीय पेरोकार उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 04.10.2024 को सुनी गई। अन्य बावजुद सुचना अनुपस्थित। दौरान कार्यवाही अधिवक्ता अपीलार्थी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 63/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/69) **श्री जयपाल शर्मा बनाम श्री मांगूसिंह राजपूत व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-151 जा.दी. का पेश किया, जिसमें अपील मेमों में पक्षकारान के निवास स्थान के सहवन से गलत पता अंकन किये जाने से सही पता अंकित किये जाने का अनुरोध किया। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा-151 अनुसार अनवान के तद्नुसार संशोधन लाल स्याही से किया गया। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौखिक एवं लिखित बहस में प्रस्तुत किया है** कि मौजा ग्राम ताल में खसरा नम्बर 1806/1331 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा व 1894/1331 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है। यह भूमि अपीलार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदशुदा होकर मालिक काबिज होकर खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। उक्त भूमि पर माईन्स का आवंटन किया गया और तद्नुसार संविदा पत्र दिनांक 27.03.2015 को जारी किया गया, तब से अपीलार्थी का खनन कार्य चला आ रहा है। प्रत्यर्थीगण के मन में बेईमानी आ जाने से उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-131, 136 पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जो काबिल निरस्त के है। उक्त भूमि के संबंध में एक वाद उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ समक्ष लम्बित है, फिर भी उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया जो आवश्यक था क्योंकि अपीलार्थी उक्त आदेश से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति है, इसलिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-136 के सीमित दायरे से बाहर जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये जो अविधिक है। चूंकि अपीलाधीन निर्णय अपीलार्थी के परोक्ष पारित कर दिया, जिससे उसे इस अविधिक निर्णय की जानकारी ससमय नहीं हो सकी और भूअभिलेख निरीक्षक के सूचना पत्र दिनांक 02.07.2019 से उक्त निर्णय की जानकारी हुई और जानकारी होते ही हस्तगत अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। अंत में अधिवक्त अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत पेश किये- 1. आरआरटी 2002(1) पेज 414 2. आरआरटी 2002(1) पेज 150 3. आरआरटी 2015(1) पेज 10 4. आरआरटी 2019(1) पेज 219 5. आरआरटी 2011(1) पेज 67 6. आरबीजे 2022 पेज 618 **प्रत्यर्थी-तहसीलदार की ओर से उपस्थित राजकीय पेरोकार** द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को पूर्णतया विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया। उक्त भूमि प्रत्यर्थीगण के पूर्वाधिकारी को आवंटनशुदा भूमि है, जिसका राजस्व अभिलेखों जमाबंदी में अंकन किया गया परन्तु राजस्व अभिलेख जैसे नक्शों में तरमीम नहीं किये जाने से प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-131, 136 पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अभिलेखों में अंकित खातेदार के नाम तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान किया गया, जो पूर्णतया विधि सम्मत है। **हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 63/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/69) **श्री जयपाल शर्मा बनाम श्री मांगूसिंह राजपूत व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आद्योपांत अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान परिशीलन किया। जैसा की उपरोक्त पेरा में अंकित किया गया है कि अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी मय शपथ पत्र प्रस्तुत की, जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए हस्तगत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। विधि के सुसंगत प्रावधानों के दृष्टिगत हम यहां सर्वप्रथम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी एवं धारा-5 मयाद अधिनियम पर विनिश्चय किया जाना आवश्यक समझते है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा आक्षेपित आदेश से व्यथित व्यक्ति होने के संबंध में विभिन्न उजरात प्रस्तुत किये। पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति प्रकट हुई है कि वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 से 3 के पूर्वाधिकारी श्री उदयसिंह को आराजी संख्या 1331 रकबा 05 बीघा जिसके नये नम्बर 1918/1331 है, आवंटन किया और तद्नुसार राजस्व अभिलेख जमाबंदी में उसके नाम भूमि का अंकन किया गया परन्तु राजस्व नक्शों में इसकी तरमीम नहीं की गई। सवप्रर्थम यह मुख्य रूप से देखा जाना अपेक्षित है कि आराजी संख्या 1918/1331 कभी भी अपीलार्थी के नाम दर्ज रही है या नहीं। इस संबंध में अभिलेखों पर ऐसा कोई दस्तावेज न तो उपलब्ध है, न ही प्रस्तुत किया गया है जो यह साबित करता हो कि अपीलार्थी विवादित आराजी संख्या 1918/1331 भूमि का कभी खातेदार काश्तकार रहा हो, या उसके कब्जे में रही हो। इसके अतिरिक्त यह भूमि कभी भी अपीलार्थी की पैतृक भूमि रही हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। दस्तावेजात के अवलोकन से आराजी संख्या 1918/133 कभी भी अपीलार्थी के नाम होना नहीं पाया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना की जानी चाहिये। विधि में जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत किये जाने के लिए दफा 96 जाप्ता दीवानी एवं आदेश 41 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के अन्तर्गत ही अपील की जा सकती है। अपील किये जाने के लिए सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय के पक्षकार द्वारा ही अपील प्रस्तुत किये जाने का अधिकार है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अन्य कोई व्यक्ति व्यथित पक्षकार है तो उसे अपील प्रस्तुत करने से पूर्व दफा 96 जाप्ता दीवानी के तहत पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के आज्ञापक प्रावधानों व अनेकानेक न्यायिक दृष्टान्त उपलब्ध है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से व्यथित व्यक्ति जाहिर नहीं होता है क्योंकि विवादित आराजी कभी भी उनके व्यक्तिगत नाम से खातेदारी दर्ज नहीं थी और न ही वह इस भूमि पर मालिक होकर काबिज है। अपीलार्थी स्वयं द्वारा कथन प्रस्तुत किये जाने है कि मौजा ग्राम ताल में खसरा नम्बर 1806/1331 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा व 1894/1331 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है। यह भूमि अपीलार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदशुदा होकर मालिक काबिज होकर खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। उक्त कथनों से यह कही भी जाहिर नहीं होता है कि आराजी संख्या 1918/1331 का अपीलार्थी कभी खातेदार काश्तकार रहा है। साथ ही उनके कोई वैधानिक अधिकार प्रकट नहीं होने से पुरीक्षणकर्ता का प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी स्वीकार्य योग्य नहीं है। उक्त विनिश्चय के संबंध में यहा हम दफा 96 जादी पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित निम्नांकित सिद्वान्तों/व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना उचित समझते है, जो इस प्रकरण में पर चस्पा होते हैः **आरबीजे (27) 2020 पेज 569 में माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने मत व्यक्त किया है कि** **Civil Proceddure Code 1908 – Section 96 –** When	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 63/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/69) **श्री जयपाल शर्मा बनाम श्री मांगूसिंह राजपूत व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	applicants have failed to demonstrate that they are prejudicially or adversely affected by the decree in question or any or their legal rights stands jeopardized os as to bring them within the abmit or the expression person aggrieved entitling them to maintain appeal against the decree. As the appellants are not the aggrieved person therefore their application for filing appeal was rightly dismissed. [सिविल प्रक्रिया संहिता 1908-धारा-96 - जब अपीलान्ट यह बताने में असमर्थ रहे कि डिक्री का उन पर किस प्रकार से विपरित प्रभाव पड़ेगा जिसके कारण से वह व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में आते है, व डिक्री के खिलाफ अपील करने के अधिकारी है, अपीलान्ट व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते है, इस कारण अपील करने के दिया गया उनका प्रार्थना पत्र सही निरस्त किया गया।] The appellants have thus failed to demonstrate that they are prejudicially or adversely affected by the decree in question or any of their legal rights stands jeopardized so as to bring them within the ambit of the expression "person aggrieved" entitling them to maintain appeal against the decree. उपरोक्त विवेचन से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी व्यथित व्यक्ति नहीं है, जिसे यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है और प्रस्तुत अपील मयाद बाधित भी है। फिर भी यह न्यायालय नैसर्गिक न्यायालय के सिद्धान्त के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण गुणावगुण पर विवेचन किया जाना उचित समझता है, जिसका यह अर्थ नहीं है कि हस्तगत अपील में मयाद उपशमित की और अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दे दी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि ग्राम ताल तहसील देवगढ़ की जमाबंदी संवत् 2038 से 2041 में प्रत्यर्थी-1 से 3 के पिता एवं पति श्री उदयसिंह पिता धीरजसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज हो सहखातेदार है तथा उक्त आराजीयात प्रत्यर्थी-1 से 3 को उनके पिता/पति को जरिये अलोटमेंट से कार्यालय उपजिलाधीश भीम जिला राजसमंद द्वारा सन् 1978 में आवंटन की गई और पट्टा जारी किया गया। तत्पश्चात् प्रार्थीगण के पिता/पति को उक्त आराजीयात का खातेदार घोषित किया एवं उक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड में प्रत्यर्थी-1 से 3 के पिता/पति के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित की गई। उक्त आवंटनशुदा आराजी सं. 1331 के स्थान पर राजस्व विभाग द्वारा नवीन आराजी सं. 1918/1331 अंकित की गई परन्तु उक्त आराजी सं. 1918/1331 को राजस्व नक्शें में तरमीम नहीं किया गया जो राजस्व नक्शें में तरमीम किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। इस तथ्य की जांच अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजात से किया जाना परिलक्षित होता है। अपीलार्थी स्वयं द्वारा कथन प्रस्तुत किये जाने है कि मौजा ग्राम ताल में खसरा नम्बर 1806/1331 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा व 1894/1331 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है। यह भूमि अपीलार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदशुदा होकर मालिक काबिज होकर खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। उक्त कथनों से यह कही भी जाहिर नहीं होता है कि आराजी संख्या 1918/1331 का अपीलार्थी कभी खातेदार काश्तकार रहा है। प्रकरण में राजस्व कर्मचारियों द्वारा आवंटन के आधार पर नामान्तरकरण तो पारित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 63/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/69) **श्री जयपाल शर्मा बनाम श्री मांगूसिंह राजपूत व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कर दिया गया परन्तु गलती से राजस्व नक्शों में तरमीम नहीं की गई, जिस हेतु राजस्व नियमावली में धारा-131 सपठित धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रावधान उपलब्ध है। इन्ही प्रावधानों के दृष्टिगत प्रत्यर्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का पेश किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद परिक्षण एक तार्किक एवं विधिक निर्णय पारित किया है, जिसमें यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाता है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से चस्पा नहीं होते है। अतः **उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है और सहायक कलक्टर, देवगढ़ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.01.2019 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 17.06.2019 यथावत रखा जाता है।** तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (सी.आर.देवासी, R.A.S.) अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	